उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक–25220–22 /ऋण/एनबीसीएफडीसी/2017–18 दिनांक–16.06.2017

समस्त शाखा प्रबधंक,
उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

आप अवगत है कि एनबीसीएफडीसी नई दिल्ली से वित्तीय सहायता लेकर इन विशेष योजनाओं में निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र लाभार्थियों की रियायती दरो पर विभिन्न रोजगारपरक एवं आय अर्जक योजनाओं में ऋण वितरण किया जा रहा है। इन विशेष योजनाओं में विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्तीकरण एवं अर्थिक रूप से स्वालम्बी बनाये जाने हेतु ऋण–वितरण किया जा रहा है।

प्रायः यह देखने में पाया गया है कि कतिपय शाखाओं द्वारा इन विशेष योजनाओं में ऋण–वितरण करने हेतु कोई रूचि नही ली जा रही है, जबकि इन विशेष योजनओं में ऋण–वितरण की ब्याज दर 04 प्रतिशत और 05 प्रतिशत है। आप यह भी भलि–भॉति जानते है कि एनबीसीएफडीसी से बैंक को वित्तीय सहायता निर्धारित शर्तों एवं नियमों के अर्न्तगत प्राप्त होती है। एनबीसीएफडीसी से बैंक द्वारा प्राप्त की गई धनराशि का ऋण–वितरण में निर्धारित अवधि में सदुपयोग नही किया गया तो अवितरित ऋण राशि पर वितरित ब्याज दर से अधिक का ब्याज भुगतान किया जाता है, जिससे बैंक पर ब्याज के रूप में अतिरिक्त भार पड़ता है। वर्तमान में इन विशेष योजनजाओं में ऋण–वितरण हेतु पर्याप्त धनराशि प्रधान–कार्यालय में उपलब्ध है।

अतः आपको कठोर चेतावनी के साथ सचेत करते हुए निर्देशित किया जता है कि इन विशेष योजनाओं में जारी दिशा–निर्देशो के अनुरूप पात्र लाभार्थियों का चयन करते हुए निर्धारित प्रारूप पर प्रधान–कार्यालय से ऋण–वितरण हेतु धनराशि की मॉग की जाय। यह भी सूचित किया जाता है कि आगामी 15 कार्य दिवसो में इन विशेष योजनाओं में शाखाओं द्वारा ऋण वितरण हेतु धनराशि की मांग प्रधान कार्यालय से नही की गई, तो बैंक द्वारा एनबीसीएफडीसी से प्राप्त अवितरित धनराशि को वापिस कर दिया जायेगा।

इन विशेष योजनाओं में ऋण वितरण प्रधान कार्यालय से प्राप्त धनराशि से ही किया जाय, वसूली धनराशि अथवा अन्य किसी मद से कतिपय न किया जाय।

ह0/–

(आर0 बी0 गुप्ता)
मुख्य महाप्रबंधक(प्रशा0/ऋण)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलीय/जनपदीय पर्यवेक्षक,उ0प्र0सह0ग्रा0वि0बैंकलि0,प्र0का0/प्रशिक्षण केन्द्र को इस निर्देश के साथ कि प्र0का0 के पत्रांक 25200/ऋण/एनबीसीएफडीसी/2017–18 दिनांक 30.05.2017 के क्रम में इन विशेष योजनाओं में ऋण–वितरण हेतु धन मॉग के पत्र किसी भी शाखाओं से प्र0का0 प्रेषित नही कराये गये।

2. निजी सचिव(प्रबन्ध निदेशक) उ0प्र0सह0ग्रा0वि0बैंकलि0प्रधान–कार्यालय,लखनऊ को प्रबन्ध निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।

ह0/–

मुख्य महाप्रबंधक(प्रशा0/ऋण)